उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 1056–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि–2022–20/2009 टी0सी0–।। दिनांकः 25 नवम्बर, 2022

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पूर्व)/(पारे0 क्षेत्र उत्तर–पूर्व)/
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–मध्य)/(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम)/
(पारे0प0)/(पारे0म0)/(संचार एवं नियंत्रण)/
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन)/(सी0एम0यू0टी0)/
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई)/(नियोजन)/
(जानपद पारेषण–प्रथम/द्वितीय)/
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज/गोरखपुर/झाँसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ।

ई–मेल

विषयः **"विद्युत मजदूर संगठन, उ0प्र0 एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तुत मांगों को लेकर दिनांक 28.11.2022 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विद्युत मजदूर संगठन उ0प्र0 एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उ0प्र0 के पत्र सं0–142/विमस/विसमस/नोटिस, दिनांक 19.11.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय मांगें प्रस्तुत करते हुए परियोजनाओं समेत समस्त डिस्कॉम में दिनांक 28.11.2022 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का नोटिस दिया है।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने 'उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–808/24–पी–2022–1(121)/04, दिनांक 30.06.2022 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन के पत्र संख्या–2643–औ०सं०–17/पाकालि/2022–159–ए/67, दिनांक 15.07.2022 द्वारा दी गयी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार विरोध प्रदर्शन, आदि करना न केवल अनुचित, अपितु अवैधानिक भी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ०सं०/17/पाकालि/2001–3–ए0/79, दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है, जिसके परिणाम से सेवा में व्यवधान (Break in Service) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इस सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैः–

1. उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (ESMA) पूर्ण रूप से लागू है, जिसके अन्तर्गत हड़ताल/कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से निषिद्ध एवं प्रतिबन्धित है।
2. जिला प्रशासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाये ताकि विद्युत आपूर्ति एवं राजस्व वसूली में व्यवधान उत्पन्न न हो सकें तथा कर्मठ एवं निष्ठावान अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा एवं मनोबल प्रभावित न हो सके।
3. संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन, प्रदर्शन की वीडियोग्राफी करायी जाये।
4. प्रदर्शन में प्रतिभाग करने वाले पदाधिकारियों/कार्मिकों की पहचान कर उनकी नामावली तैयार कर वीडियोग्राफी सहित कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाये।
5. सभी कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। प्रदर्शन में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों को अवकाश स्वीकृत न किये जाये।

क्रमशः 2/–

6. क्षेत्र/मण्डल स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिये जाये ताकि सूचना के आदान–प्रदान में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। क्षेत्र के नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वे कार्य बहिष्कार एवं कार्यालय में उपस्थित/अनुपस्थित का विवरण भी कारपोरेशन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों की सूची एवं मोबाइल नं० भी कारपोरेशन को उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्य में बाधा पहुँचाने वाले कार्मिकों एवं शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध ठोस अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।
8. आउट सोर्स एजेन्सी को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स कार्मिक प्रस्तावित कार्य बहिष्कार/आन्दोलन में प्रतिभाग न करें तथा जो श्रमिक इसमें प्रतिभाग करें, उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत मजदूर संगठन उ०प्र० एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उ०प्र० द्वारा दिनांक 28.11.2022 से प्रस्तावित अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार की नोटिस के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

1

(पी० गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1056–पारे०अनु०–04/पाट्राकालि/2022 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ जिला/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त शक्ति भवन मुख्य द्वार तथा भवन के अन्दर एवं बाहर सी०सी०टी०वी० कैमरों के सुचारू रूप से संचालित होना भी सुनिश्चित करायेंगें, ताकि आवश्यकतानुसार फुटेज भी प्राप्त की जा सकें।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(पी० गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक